राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1406/2016/जयपुर

मैसर्स राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड
जयपुर — अपीलार्थी

बनाम

1.उपायुक्त(प्रशासन)तृतीय,
वाणिज्यिक कर,जयपुर
2.सहायक आयुक्त
वाणिज्यिक कर,वृत–एन,जयपुर — प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थित
श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 12.06.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी ने उपायुक्त(प्रशासन) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा क्रमांक प.4()उपा. –।।।/कर/2011–12 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 10.02.2016 के विरूद्ध पेश की गयी हैं।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–एन, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2012–13 का एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.03.2015 को पारित किया गया है। सशक्त अधिकारी के आदेश दिनांक 25.03.2015 से असन्तुष्ट होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रकरण रि–ओपन करने हेतु प्रार्थना पत्र किया गया। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आदेश दिनांक 10.02.2016 पारित कर अपीलार्थी व्यवसायी के रि–ओपन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.02.2016 से क्षुब्ध होकर व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.03.2015 पारित कर मांग सृजित की है, जो नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्ध है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने सशक्त अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा अधिनियम की

धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत रि–ओपन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है,जो तथ्यों एवं रिकार्ड के अनुसार उचित नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपील स्वीकार कर प्रकरण रि–ओपन करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय पर मनन किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से ज्ञात होता है कि व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्को पर विचार किये बिना ही एवं प्रकरण के तथ्यों पर बिना कोई तथ्यात्मक विवेचन किये ही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धार 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र का अस्वीकार किया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि सशक्त अधिकारी द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है।

अतः न्याय हित में अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह दिनांक 10.07.2017 को स्वतः कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष मय दस्तावेजों के उपस्थित होकर आलोच्य अवधि का पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने में सहयोग प्रदान करें। यदि अपीलार्थी व्यवहारी उक्त निर्धारित दिनांक 10.07.2017 को सशक्त अधिकरी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो यह आदेश निरस्त समझा जावेगा।

फलस्वरूप उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत अपील स्वीकार कर उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण सशक्त अधिकारी को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं ।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष